लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

एक कदम स्वच्छता की ओर

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS-LSBA/Admn/18/18/120 दिनांक 15/05/2018

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि० प्र० से०,
प्रशासी पदाधिकारी–सह–राज्य समन्वयक

सेवा में,

उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बांका, बेगुसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सारण, पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली।

विषय: दिनांक 22.05.2018 तक प्रत्येक जिले से चार (4) कार्य कुशल/अनुभवी एवं खुले में शौच से मुक्त (ODF) किये जाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वच्छाग्रहियों को चिन्हित कर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्यों में सहभागिता निभाये जाने हेतु नामित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंर्तगत, राज्य को मार्च 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन गतिविधि को भी समानांतर रुप से चलाया जा रहा है। जिलों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कियान्वयन हेतु राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्तर से जिला सलाहकार, SLWM की नियुक्ति कर पदस्थापना की गयी है। जिसके द्वारा कियान्वयन हेतु अग्रेतर कारवाई की जा रही है। इसी कम में समुदाय स्तर पर सुचारु प्रबंधन और सफलतापूर्वक SLWM गतिविधियों के कियान्वयन एवं स्थायीत्व के दृष्टिकोण से स्वच्छाग्रही/सामुदायिक उत्प्रेरक के साथ कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि, अपने जिले के कम से कम चार (4) कार्य कुशल/अनुभवी एवं खुले में शौच से मुक्त किये जाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वच्छाग्रहियों को चिन्हित कर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्यों में सहभागिता निभाये जाने हेतु नामित किया जाए। जिन्हें राज्य स्तर से प्रशिक्षित कर **बेयरफूट इंजीनीयर** के रुप में तैयार किया जायेगा।

स्वच्छाग्रहियों को चिन्हित किये जाने एवं उनसे संबंधित अन्य सूचनाओं को एकत्रित कर सहभागिता निभाये जाने हेतु नामित किये जाने से संबंधित प्रारुप तैयार किया गया है। कुछ जिलों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, शेषे जिलों द्वारा दिनांक 22.05.2018 तक वांछित सूचनाएं राज्य कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

15/5/18

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक: BRLPS-LSBA/Admn/18/18/120 **दिनांक 15/05/2018**

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति बांका, बेगुसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सारण, पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति बांका, बेगुसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सारण, पश्चिमी चम्पारण, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/18

बेयरफूट इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किए जाने हेतु स्वच्छाग्रही/सामुदायिक उत्प्रेरक की विवरणी

क्रम संख्या	जिला का नाम	नाम	पेशा	स्वच्छता में अनुभव	अभ्युक्ति